न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–5, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थितः देवेन्द्र नाथ सिंह .....एच0जे0एस0।

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–50 सन् 2024

CNRUPLP010024962024

भानू सिंह आयु करीब 54 वर्ष पुत्र श्रीपाल सिंह, निवासी ग्राम बहादुरपुर, थाना–नीमगॉव, जिला–लखीमपुर खीरी।

––––––––––––निगरानीकर्ता

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर खीरी।

––––––––––––उत्तरदाता।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–1319 सन् 2023, भानू सिंह बनाम सुशील सिंह, अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0, थाना नीमगॉव, जिला लखीमपुर खीरी में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 16.01.2024 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त कर दिया।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी महमूद द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 मय शपथ–पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अपने पिता व समस्त भाईयों के साथ भूमि गाटा संख्या–452क/1 रकबा 0.3880 हे0, जो प्रार्थी के पिता श्रीपाल सिंह व बड़े भाई छन्नू सिंह द्वारा वर्ष 2000 में क्रय की गयी थी, पर खेती करता चला आ रहा है। विपक्षी सुशील सिंह उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से तत्कालीन सुशील कुमार से मिली भगत करके जबरन दिनांक 02.10.2023 को दि में तीन बजे आये और प्रार्थी की भूमि को अन्तेष्टि स्थल के बात नापने को कहा। इस सम्बन्ध में उसकी पत्नी द्वारा आदेश के बाबत पूछे जाने पर क्षुब्ध होकर विपक्षी लेखपाल सुशील कुमार मय राजस्व टीम, प्रधान सुशील सिंह व सुनील सिंह, अभिषेक सिंह, महेश्वर सिंह व 5–6 व्यक्ति एक राय होकर प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ गाली गलोज करने लगे तथा सुशील सिंह प्रार्थी की पत्नी की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उसका ब्लाउज फाड़ दिया। शोर–शराबा पर दीपू सिंह आदि के आ जाने पर विपक्षीगण प्रार्थी व उसकी पत्नी को जान से मारने व फर्जी मुकदमा में फॅसा देने की धमकी देते हुये चले गये।

3. उक्त प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अवर न्यायालय द्वारा सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुसार दिनांक 01.10.2023 को शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व टीम मरघट की जमीन की पैमाइश करने के लिये गयी थी। वहॉ पर जाकर क्षेत्रीय लेखपाल श्री सुशील आदि द्वारा मरघट की जमीन की पैमाइश करना आरम्भ की गयी, जिस पर आवेदक भानू सिंह आदि द्वारा मरघट की भूमि की पैमाइश नहीं करने दी गयी तथा राजस्व टीम को कार्य सरकार में बाधा डालकर मारपीट कर धमकी देते हुये सरकार संपत्ति को नुकसान पहुचाया गया।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 को निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी संस्थित की गयी है।

4. निगरानीकर्ता द्वारा आधार निगरानी में यह अभिकथित किया कि निगरानीकर्ता ने गाटा सं0–462क/1 रकबा 0.3880 हे0 को उसके पिता द्वारा क्रय करने के सम्बन्ध में पंजीकृत बैनामा दिनांकित 07.09.2000 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दाखिल किया है। बैनामे के समय निगरानीकर्ता नाबालिग था, बालिग होने पर उक्त गाटा सं0 पर वह सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने दिनांक 05.10.2023 की प्रमाणित उद्धरण खतौनी अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष दाखिल की है, जिस पर विद्धान विचारण न्यायालय ने कोई ध्यान न देकर त्रुटि की है। लेखपाल द्वारा गाटा सं0–462ख/0166 दीगर बंजर को अन्त्येष्टि स्थल हेतु पैमाइश करना था, किन्तु उन्होंने निगरानीकर्ता की भूमि गाटा सं0–462क/1 की पैमाइश की, जिस विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि लेखपाल के पास निरगरानीकर्ता की भूमि को किस आदेश के तहत नापने का अधिकार था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.01.2024 विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के विपरीत है। अतः निगरानी स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकत 16.01.2024 निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।

5. उत्तरदाता की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं है। निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

6. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7. **2012 (3) जे0आई0सी0 पृष्ठ 772 (सुप्रीम कोर्ट) अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था दी है कि :–

पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहाँ पर :–

1. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल गलत है,

2. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है और,

3. बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये हैं,

4. तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

5. न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया गया है।

उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायालय को इस तथ्य का विनिश्चयन करना है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधिक प्राविधानों का पालन न करते हुए तात्विक साक्ष्य को अनदेखा तो नहीं किया गया।

8. विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र यह निष्कर्ष देते हुये निरस्त कर दिया कि विपक्षी सुशील कुमार तत्कालीन लेखपाल, सुशील सिंह ग्राम प्रधान एवं राजस्व टीम जो कि लोकसेवक है, लोकसेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य सम्पादित किया जा रहा था, ऐसी स्थिति में उपरोक्त लेखपाल के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है। चूंकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

9. **197. न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन–**(1) जब किसी व्यक्ति पर, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है या था, जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के बिना उसके पद से हटाया नहीं जा सकता, किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का प्रकल्पना करते समय किया गया है, तब कोई न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगा–

(ए) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के कार्यकलापों के संबंध में केन्द्रीय सरकार में नियोजित है या, यथास्थिति, अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था।

(बी) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य सरकार के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित है या, यथास्थिति, अभिकथित अपराध ा के किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की, पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु जहां अभिकथित अपराध खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा प्रवृत्त थी, वहां खंड (ख) इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें आने वाले ''राज्य सरकार'' के पद के स्थान पर ''केन्द्रीय सरकार'' के पद प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। ख 1991 के अधिनियम 43 की धारा 2 द्वारा (2–5–1991 से) जोड़ा गया।

स्पष्टीकरण.– शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी लोक सेवक पर धारा 166ए, धारा 166बी, धारा 354, धारा 354ए, धारा 354बी, धारा 354सी, धारा 354डी, धारा 370, धारा 375, धारा 376, ख्धारा 376ए, धारा 376एबी, धारा 376सी, धारा 376डी, धारा 376डीए, धारा 376डीबी, भारतीय दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा अंतःस्थापित, या भारतीय दंड संहिता की धारा 509 द्वारा अंतःस्थापित।, 1980 के अधिनियम 63 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित (23.9.1980 से प्रभावी)।

(2) कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का प्रकल्पना करते समय किए गए किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगा।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उपधारा (2) के उपबंध, लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार संभालने वाले बलों के सदस्यों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग पर लागू होंगे, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों, और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले ''केन्द्रीय सरकार'' पद के स्थान पर ''राज्य सरकार'' पद रख दिया गया हो।

(3–क) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह किसी राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त बलों के किसी सदस्य द्वारा, उस अवधि के दौरान अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए

किया गया है, जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा वहां प्रवृत्त थी, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगा।

(3–बी) इस संहिता या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई मंजूरी या ऐसी मंजूरी पर न्यायालय द्वारा लिया गया कोई संज्ञान, 20 अगस्त, 1991 को शुरू होने वाली और उस तारीख से ठीक पहले की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1991 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, किसी अपराध के संबंध में, जो उस अवधि के दौरान किया गया माना जाता है जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत जारी की गई घोषणा राज्य में लागू थी, अवैध होगी और ऐसे मामले में केंद्रीय सरकार के लिए मंजूरी देना और न्यायालय के लिए उस पर संज्ञान लेना सक्षम होगा। 1991 के अधिनियम 43 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया (2–5–1991 से प्रभावी)।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का निर्धारण कर सकेगी जिसके द्वारा, उस रीति का, और उस अपराध या अपराधों का जिसके लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाना है, तथा वह न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके समक्ष विचारण चलाया जाना है।

10. प्रस्तुत मामले में विपक्षी लेखपाल आदि पर निगरानीकर्ता ने उसकी पत्नी की लज्जा भंग करने के आशय से उसका ब्लाउज फाड़ दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभिकथित किया गया। धारा–156 (3) दण्ड प्रकिय्रा संहिता में वर्णित विपक्षीगण राजपत्रित अधिकारी नहीं है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 दिनांकित 03.02.2013 से प्रभावी, के द्वारा ऐसे लोकसेवक के मामले में, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा–166क, 166ख, धारा–354, धारा–354क, धारा–354ख, धारा–354ग, धारा–354घ, धारा–370, धारा–375, 376ग, 376घ, 376धक, धारा–376 घख या धारा–509 के अधीन अपराध किया है, तो किसी पूर्व मंजूरी की अपेक्षा नहीं की जायेगी। जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर त्रुटि की गयी है और प्रश्नगत आदेश सरसरी तौर पर पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त कर न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से करते हुये प्रश्नगत आदेश पारित किया गया, वह विधिक सिद्वान्तों के विपरीत है।

तद्नुसार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.01.2024 अपास्त किये जाने योग्य है तथा पत्रावली उपरोक्त निर्णय में दिये गये दिशानिर्देशों के आलोक में पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानी सं0 50/2024 भानू सिंह बनाम राज्य स्वीकार की जाती हैं।

फौजदारी वाद संख्या–1319 सन 2023 भानू सिंह बनाम सुशील सिंह के मामलें में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँकित–16.01.2024 अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानी निर्णय में दिये गये दिशानिर्देशों के आलोक में निगरानीकर्ता को पुनः सुनने के उपरान्त विधिनुसार आदेश पारित करें।

विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय को अविलम्ब वापस भेजी जाए।

दिनाँकः 30–10–2024

(देवेन्द्र नाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5
लखीमपुर–खीरी।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6494

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः 30–10–2024

(देवेन्द्र नाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5
लखीमपुर–खीरी।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6494

तद्नुसार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.01.2024 अपास्त किये जाने योग्य है तथा पत्रावली उपरोक्त निर्णय में दिये गये दिशानिर्देशों के आलोक में पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानी सं0 55/2024 नवीन उर्फ नवीन कुमार शुक्ला बनाम सरकार उ0प्र0 आदि आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। फौजदारी वाद संख्या–147 सन 2021 रामू बनाम अकील अहमद आदि के मामलें में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँकित–06.08.2022 निगरानीकर्ता नवीन उर्फ नवीन कुमार शुक्ला के बाबत अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानी निर्णय में दिये गये दिशानिर्देशों के आलोक में निगरानीकर्ता नवीन उर्फ नवीन कुमार शुक्ला के बबात पुनः उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त विधिनुसार आदेश पारित करें।

विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय को अविलम्ब वापस भेजी जाए।

दिनाँकः 03–10–2024

(देवेन्द्र नाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5
लखीमपुर–खीरी।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6494

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः 03–10–2024

(देवेन्द्र नाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5
लखीमपुर–खीरी।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6494